न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

पुर्नविलोकन **प्रार्थना पत्र** जीसीएमएस **नम्बर 2022/79**

1. जगदीश प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल
2. रामस्वरूप पुत्र कन्हैयालाल
3. बद्रीप्रसाद पुत्र कन्हैयालाल
4. ओमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल
5. कमलेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल
6. विमलेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम राजौली, तहसील लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान ।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. प्राधिकृत अधिकारी, लालसोट (उपखण्ड अधिकारी, लालसोट), जिला दौसा, राजस्थान।
2. नगर पालिका मण्डल लालसोट जरिये सचिव/प्राधिकृत अधिकारी ।
3. जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), दौसा जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
4. राजस्थान सरकार जरिये भू–स्वामी तहसीलदार, तहसील लालसोट,जिला दौसा।

–रेस्पोडेन्ट

पुनर्विलोकन याचिका अर्न्तगत धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत माननीय न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 281/2019 बउनवानी जगदीश प्रसाद वगैरह बनाम प्राधिकृत अधिकारी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2021 में निम्नलिखित प्रस्तावित इबारत को रिव्यु किये जाने हेतु।

उपस्थित–

1. श्री राजकुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. नं. 1, 3 व 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक –20.02.2024

1. यह प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन याचिका अर्न्तगत धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत माननीय न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 281/2019 बउनवानी जगदीश प्रसाद वगैरह बनाम प्राधिकृत अधिकारी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2021 में निम्नलिखित प्रस्तावित इबारत को रिव्यु किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 दफा मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 09.02.2022 के साथ प्रस्तुत हुआ है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण/रिव्यूकर्तागण की ओर से माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 281/2019 बउनवानी जगदीश वगैरह बनाम प्राधिकृत अधिकारी वगैरह दायर की थी जिसमें माननीय न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 21.12.2021 पारित गया जो निम्नानुसार है :–

"उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2007 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी की आराजी की हद तक वादग्रस्त आराजी की पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।" अपीलान्ट/रिव्युकर्तागण न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2021 होने के पश्चात रिव्युकर्तागण/प्रार्थीगण को सूचना के अधिकार के तहत दिनांक

संभागीय आयुक्त
जयपुर

06.01.2022 को अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका लालसोट द्वारा जारी सूची प्राप्त हुई, जिसके अन्तर्गत कुल 77 व्यक्तियों के नाम दर्ज है, जिनके विरूद्ध भी अपीलान्ट/रिव्युकर्तागण ने कोई अनुतो ा की मांग नहीं की है। ऐसी स्थिति संलग्न सूची में दर्ज सभी 77 व्यक्तियों को भी माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 21.12.2021 से मुक्त रखे जाने हेतु पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2021 के निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण जगदीश प्रसाद पुत्र कन्हैयाला वगै0 द्वारा यह पुनर्विलोकन प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश 21.12.2021 में 77 अधिशाषी, नगर पालिका द्वारा जारी सूची में दर्ज सभी 77 व्यक्तियों को भी मुक्त रखे जाने हेतु प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. प्रार्थीगण (रिव्युकर्तागण) के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण/रिव्युकर्तागणं की ओर से माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 281/2019 बउनवानी जगदीश वगैरह बनाम प्राधिकृति अधिकारी वगैरह दायर की थी जिसमें माननीय न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 21.12.2021 पारित फरमाया गया जो निम्नांनुसार है–

> "उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2007 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी की आराजी की हद तक वादग्रस्त आराजी की पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है । तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।"

रिव्युकर्तागण/अपीलाण्ट्स ने अपनी अपील मीमो के संक्षिप्त तथ्यो की मद संख्या 1 में स्पष्ट कथन अंकित किया कि राजस्व ग्राम राजौली, पटवार हल्का राजौली, भू०अ० निरीक्षक क्षेत्र लालसोट, तहसील लालसोट, जिला दौसा की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 198 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 199 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा स्थित है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी की खातेदारी पूर्व में अपीलाण्ट्स के पिता श्री कन्हैयालाल पुत्र स्व0 कंवरपाल के नाम से दर्ज एंव अंकित रही है और श्री कन्हैयालाल के देहान्त के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण अपीलाण्ट्स के नाम से स्वीकृत होकर खातेदारी दर्ज हुई। उक्त आराजीयात का आंशिक भाग श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नि वीरसिंह, जाति मीना, निवासी ग्राम सनेट, तहसील हिण्डोन, जिला करौली, राजस्थान, सत्यनारायण पुत्र बजरंगलाल, जाति महाजन, निवासी ग्राम दतवास, तहसील निवाई, जिला टौंक, राजस्थान, जितेन्द्र पुत्र प्रकाशचन्द, जाति ब्राह्मण, निवासी राजौली, तहसील लालसोट, जिला जयपुर, मनोहर पुत्र जगदीशचन्द शर्मा, राजेश पुत्र जगदीशचन्द शर्मा, लोकेश कुमार पुत्र जगदीशचन्द शर्मा, जातियान ब्राह्मण, निवासी बाढ रावसीना, तहसील नादोती, जिला भरतपुर, राजस्थान एंव रूचीस पुत्र पदम जैन, जाति जैन, निवासी जवाहर नगर, जयपुर, मनमोहन कुमार शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी 27, कृष्णा नगर, इमली फाटक, टौंक रोड़, जयपुर, श्रीमती गीतादेवी पत्नि मुकेश, जाति ब्राह्मण, निवासी कस्बा लालसोट, तहसील लालसोट, जिला दौसा, विजयलक्ष्मी पत्नि नवल किशोर, जाति ब्राह्मण, निवासी कस्बा लालसोट, तहसील लालसोट, जिला दौसा एंव बद्रीनारायण पुत्र कल्याणबक्श, जगदीश नारायण पुत्र कल्याणबक्श, गोरधन पुत्र कल्याणबक्श जातियान महाजन, निवासी कस्बा लालसोट, तहसील लालसोट, जिला दौसा एंव राजेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप, जाति ब्राह्मण, निवासी रामनगर डोली, तहसील बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर, राजस्थान एंव ओमप्रकाश पुत्र सुखदेव, सुधीर कुमार पुत्र सुखदेव जातियान ब्राह्मण, निवासी कस्बा लालसोट, तहसील लालसोट, जिला दौसा एंव संजनादेवी पत्नि रामेश्वरप्रसाद, जाति ब्राह्मण, निवासी पट्टी किशोरपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा की खातेदारी में दर्ज रही है। रिव्युकर्तागण/अपीलाण्ट्स ने अपनी अपील मीमो की मद संख्या 2 में स्पष्ट रूप से अंकित किया कि यहाँ यह अंकित करना समीचीन है कि सह–खातेदार

संभागीय आयुक्त
जयपुर

श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नि वीरसिंह वगैरह ने अपने नाम दर्ज भूमि का भू–संपरिवर्तन करवाने हेतु कोई आवेदन नहीं किया इसके बावजूद भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा उक्त आदेश के अर्न्तगत ही श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नि वीरसिंह वगैरह के हिस्से की भूमि का भी भू–संपरिवर्तन कर दिया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या–1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–8–2007 निम्नांकित है–

"अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ख के तहत प्राप्त पत्रावली का प्रयोग करते हुए उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 198, 199 कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा भूमि का ग्राम राजौली के खातेदारान् श्री जगदीश प्रसाद, रामस्वरूप, बद्रीप्रसाद, ओमप्रकाश, कमलेश कुमार पिसरान् कन्हैयालाल कौम ब्राह्मण, सत्यनारायण पुत्र श्री बजरंगलाल कौम महाजन, जितेन्द्र शर्मा पुत्र प्रकाशचन्द शर्मा, कौम ब्राह्मण स० लालसोट, मनोहरलाल, राजेशकुमार, लोकेशकुमार पिसरान् जगदीशचन्द्र शर्मा कौम ब्राह्मण सा० बाढ रायसाना, दिनेश पुत्र श्री चौथमल, जाति ब्राह्मण सा० गंगापुर सिटी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नि श्री वीरसिंह मीणा, निवासी ग्राम सनेट (हिण्डोन), रूचिश जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन व मनमोहन कुमार पुत्र श्री सीताराम शर्मा, गीतादेवी पत्नि श्री मुकेश कुमार शर्मा, विजयलक्ष्मी पत्नि श्री नवलकिशोर शर्मा, बद्रीनारायण, जगदीश नारायण, गोर्वधन पिसरान् कल्याबक्श, कौम महाजन, राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा, कौम ब्राह्मण, ओमप्रकाश पुत्र श्री सुखदेव चतुर्वेदी, सपनादेवी पत्नि रामस्वरूप प्रसाद, कौम ब्राह्मण वगैरह एंव खसरा नम्बर 198, 199 के खातेदार उपरोक्त ने अपनी खातेदारी जमीन को राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 135 फीट की दूरी पर गैर कृषि प्रयोजनार्थ आवासीय हेतु कुल 20145 वर्गगज (60 प्रतिशत) वर्गगज सुविधाओ हेतु 13,430 वर्गगज (40 प्रतिशत) की खातेदार अधिकारी समाप्त कर भूमि राज्य सरकार (नगर पालिका लालसोट) के हक में पुर्नग्रहित की जाती है। अतः आप उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करावे ।"

अपीलाण्ट्स ने सह–खातेदार श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नि वीरसिंह वगैरह के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा है, इसलिये इस अपील में सह खातेदार श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नि वीरसिंह वगैरह को पक्षकार नहीं बनाया गया है। माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 21.12.2021 के पेज नम्बर 2 में ऊपर से द्वितीय पैराग्राफ में भी उक्त तथ्यो का अंकन दर्ज है। माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 21.12.2021 में सहवन से अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2007 को निरस्त अपीलाण्ट की हद तक निरस्त फरमाया गया था। उक्त निर्णय पारित होने के पश्चात रिव्युकर्तागण/प्रार्थीगण को सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 06.01.2022 को अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, लालसोट द्वारा जारी सूची प्राप्त हुई है जिसके अर्न्तगत कुल 77 व्यक्तियो के नाम दर्ज है, जिनके विरूद्ध भी अपीलाण्ट/रिव्युकर्तागण ने कोई अनुतोष की मांग नहीं की है। ऐसी स्थिति संलग्न सूची में दर्ज सभी 77 व्यक्तियो को भी माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 21.12. 2021 से मुक्त रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 21.12.2021 के निष्कर्ष में स्पष्ट रूप से यह मत अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है कि अपील मीमो की मद संख्या 1 में वर्णित विजयलक्ष्मी पत्नि वीरसिंह वगैरह सहित संलग्न सूची में दर्ज सभी 77 व्यक्तियो पर तथा उक्त आराजी पर निजी आवास हेतु दिये गये आवंटन पत्रो पर उक्त निर्णय लागु एंव प्रभावशील नहीं होगा । प्रस्तावित रिव्यु इबारत स्वीकार किये जाने से निर्णय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा व निर्णय की प्रकृति परिवर्तित नहीं होगी क्योंकि अपीलाण्ट्स ने अपनी अपील मीमो में स्पष्ट कथन किया कि अपीलाण्ट्स उक्त व्यक्तियो के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहते है । माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पारित उक्त निर्णय में उक्त त्रुटि सहवन से हुई है। उक्त ऐर्रर ऑन द फेस ऑफ रिकार्ड है जो रिव्यु किये जाने योग्य है माननीय न्यायालय हाजा द्वारा रिव्यु अधीन निर्णय दिनांक 21.12.2021 को पारित फरमाया गया था। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन दिनांक 05.01.2022 को पेश किया गया था। जिस पर नकल तेयार होकर दिनांक 07.01.2022 को प्राप्त हुई थी। वैश्विक कोरोना महामारी के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतवर्ष में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

परिसीमा काल के बिन्दु पर छूट प्रदान करते हुए दिनांक 15.03.2020 से 28.02.2022 तक रियायत प्रदान की गई है। जिसके अनुसार रिव्यु प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है । इस संबंध में प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पृथक से प्रस्तुत है जिसमें वर्णित तथ्यो के आधार पर रिव्यु याचिका पेश करने में हुआ विलम्ब माफ/ कण्डोन किया जाकर याचिका की गुणावगुण पर सुनवाई किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12. 2021 के अर्न्तगत उक्त रिव्यु याचिका पेश की गई है जिसको श्रवण एवं निर्णित करने का श्रेत्राधिकार माननीय न्यायालय हाजा को सुनने का अधिकार है।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने बहस में मुख्य रूप से पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा रिव्यू अधीन निर्णय दिनांक 21.12.2021 में प्रार्थीगण (रिव्युकर्तागण) ने अपील संख्या 281/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00277) में स्वंय प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी लालसोट (उपखण्ड अधिकारी लालसोट) जिला दौसा द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व/2007/359–62 दिनांक 13.08.2007 को अपीलान्ट्स के दर्ज खातेदारी हिस्से की सीमा तक अपास्त फरमाया जाकर राजस्व ग्राम राजौली तहसील लालसोट जिला दौसा की सरहद में स्थित कृशि भूमि खसरा नम्बर 198 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 199 रकबा 6 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा के पूर्व राजस्व रिकार्ड को अपीलान्ट की सीमा तक बहाल करने हेतु अपील में निवेदन किया गया है। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 21.12.2021 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2007 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी की आराजी की हद तक वादग्रस्त आराजी की पूर्व की स्थिति बहाल की गयी है। चूंकि प्रार्थीगण/(रिव्युकर्तागण) को सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 06.01.2022 को अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, लालसोट द्वारा जारी सूची प्राप्त हुई है। जिसके अर्न्तगत कुल 77 व्यक्तियो के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण/(रिव्युकर्तागण) संलग्न सूची में दर्ज सभी 77 व्यक्तियो को भी माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 21.12.2021 से मुक्त रखने हेतु अनुतोष चाहा जा रहा है। प्रार्थीगण/रिव्युकर्तागण द्वारा अपील में ऐसा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः प्रार्थीगण/(रिव्युकर्तागण) द्वारा पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अनुतोष चाहा जा रहा है, वो अनुतोष पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 86 के तहत नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/(रिव्युकर्तागण) का प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन याचिका खारिज किया जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 21.12.2021 में सहवन से अधिनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2007 को निरस्त अपीलान्ट की हद तक निरस्त किया गया है। उक्त निर्णय पारित होने के पश्चात रिव्युकर्तागण/प्रार्थीगण को सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 06.01.2022 को अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, लालसोट द्वारा जारी सूची प्राप्त हुई है। न्यायालय हाजा द्वारा रिव्यू अधीन निर्णय दिनांक 21.12.2021 को पारित फरमाया गया था। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन दिनांक 05.01.2022 को पेश किया गया था। जिस पर नकल दिनांक 07.01.2022 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। न्यायालय हाजा द्वारा रिव्यू अधीन निर्णय दिनांक 21.12.2021 की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थीगण (रिव्युकर्तागण) ने अपील संख्या 281/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00277) में स्वंय प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी लालसोट (उपखण्ड अधिकारी लालसोट) जिला दौसा द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व/2007/359–62 दिनांक 13.08.2007 को अपीलान्ट्स के दर्ज खातेदारी हिस्से की सीमा तक अपास्त फरमाया जाकर राजस्व ग्राम राजौली तहसील लालसोट

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिला दौसा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 198 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 199 रकबा 6 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा के पूर्व राजस्व रिकार्ड को अपीलान्ट की सीमा तक बहाल करने हेतु अपील में निवेदन किया गया है। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 21.12.2021 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2007 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी की आराजी की हद तक वादग्रस्त आराजी की पूर्व की स्थिति बहाल की गयी है। चूंकि प्रार्थीगण/(रिव्युकर्तागण) को सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 06.01.2022 को अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, लालसोट द्वारा जारी सूची प्राप्त हुई है। जिसके अर्न्तगत कुल 77 व्यक्तियो के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण/(रिव्युकर्तागण) संलग्न सूची में दर्ज सभी 77 व्यक्तियो को भी माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 21.12.2021 से मुक्त रखने हेतु अनुतोष चाहा जा रहा है। प्रार्थीगण/रिव्युकर्तागण द्वारा अपील में ऐसा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रार्थीगण/(रिव्युकर्तागण) द्वारा पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अनुतोष चाहा जा रहा है, वो अनुतोष पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 86 के तहत नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/(रिव्युकर्तागण) का प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैं कि प्रार्थीगण/रिव्युकर्तागण का प्रार्थना पत्र पुर्नविलोकन याचिका खारिज किया जाता हैं।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर